

## न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का खोखर  
बनाम

अप्रार्थी :- श्री सूरजमल पुत्र गोरधनमल जाति भोपा निवासी खोखर  
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956  
प्रकरण संख्या 16/17  
निर्णय

दिनांक 29.06.2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खोखर ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2073 में सरहद खोखर के खसरा नम्बर ~~25~~<sup>165</sup> किस्म गै.मु.औरण में रकबा 0.10 है. भूमि में बाड़ कर बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी दिनांक 29.06.17 को अनुपस्थित रहा है इसलिए एकतरफा कार्यवाही की जाती है।।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा खोखर के खसरा नम्बर ~~25~~<sup>165</sup> किस्म गै.मु.औरण में रकबा 0.10 है. की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.10 है. भूमि के 0.6 रूपये लगान का 50 गुणा 30/- अक्षरे तीस रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

व्यक्ति का नाम ..... के पृष्ठ सं.....  
पत्र संख्या 99 ..... 301 ..... 50 सी  
मा. नं. की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार तहसीलदार परबतसर (नागौर)